



राजस्थान सरकार  
न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या-15/2024  
जी०सी०एम०एस० संख्या- 2024/120  
दायर दिनांक- 10.7.2024  
निर्णय दिनांक-30.10.2024

1. अमरचंद आवला पुत्र बीरगराम आवला
  2. कमला देवी पत्नि दाना राम
  3. गोगली देवी पत्नि नानू राम
  4. छोटा देवी पत्नि पुखराज
  5. परमाराम पुत्र रामेश्वर
  6. राजेन्द्र आवला पुत्र खुमा राम
  7. रामनिवास आवला पुत्र विरमाराम आवला
  8. लिखमा राम पुत्र काना
  9. शांति देवी पत्नि कुन्दनमल
  10. हनुमान राम पुत्र सूरजकरण
- सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम रामनगर तह० रूपनगढ़ जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. काना पुत्र भोलू
2. सुजा पुत्र भोलू
3. हेमा पुत्र भोलू
4. झूमा देवी पुत्री भोलू
5. खुमाराम पुत्र पूषा
6. विरम राम पुत्र पूषा
7. मगनी पुत्री पूषा
8. सायरी पुत्री पूषा
9. सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी रामनगर तहसील रूपनगढ़  
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान-भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थिति-:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि० प्रार्थीगण

—निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम रामनगर पटवार हल्का निट्टी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के ख०न० 573/245 क्षेत्रफल 1.1326 में संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा मौके पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की वाद वर्णित कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि से लगी लगी हुई उत्तर व पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की भूमि की सीमा लगी हुई है। पूर्व दिशा में सरकारी भूमि लगी हुई है। दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 व सरकारी भूमि की सीमा लगी हुई है इसलिए पक्षकार के रूप में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा आये दिन अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की नींव सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते हैं। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 तक के द्वारा आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमामादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है।



*Refina*  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण अपने खसरा की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। अप्रार्थी संख्या 9 को भूगिधारी होने से पक्षकार बनया गया है एवं मृतक कानी पत्नि भोलू के वारिसान को अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी केकब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रामनगर के ख0न0 573/245 क्षेत्रफल 1.1326 है0 भूमि की पड़ौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद-विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।



*Kalnia*  
महिमा कलनिया  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)